आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 29/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कोटक महिन्द्रा प्राइम लिमिटेड, शाखा कार्यालय डी-232, 5जी फ्लॉर, एटलान्टिक एस.डी.सी. टॉवर, आम्रपाली सर्किल के पास, जयपुर, राज0।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स प्रेरणा एन्टरप्राईजेज
पता :- वार्ड नम्बर 4, महेश नगर, रेनवाल रोड, जयपुर।
2. श्रीमती परमेश्वरी कुमावत
पता :- प्लॉट नम्बर 4, 82, विकास एक्सचेन्ज ग्रुप, प्रताप विहार कॉलोनी, कालवाड रोड, करधनी, जयपुर।
3. श्री मनोज कुमार प्रजापत
4. श्रीमती संज्या देवी
5. श्री मुकेश चन्द्र प्रजापत
पता :- प्रेरणा एन्टरप्राईजेज, वार्ड नम्बर 4, महेश नगर, रेनवाल रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

(जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (ग्रामीण))

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

1. श्री अरविन्द कुमार कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 05.02.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.01.2023 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी (1) **श्रीमती परमेश्वरी देवी कुमावत के स्वामित्व की सम्पति युनिट/फ्लेट नम्बर जी-1, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लाट नम्बर जी-82, विकास एक्सीलेंसी-14, करधनी योजना, जी-ब्लॉक, गोविन्दपुरा, कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 750 वर्गफीट (2) श्रीमती संज्या देवी के स्वामित्व की सम्पति मिसल नम्बर 45, खसरा नम्बर 847, वार्ड नम्बर 7, किशनगढ रेनवाल, तहसील फुलेरा क्षेत्रफल 293.33 वर्गगज एवं खसरा नम्बर 865/1, 866, 867, 946/1, 946/1044, 948/1, 946/1045 वाके दादू नगर, बिचून रोड, फुलेरा, तहसील फुलेरा, जयपुर में स्थित आवासीय भुखण्ड संख्या 313-ई क्षेत्रफल 113.48 वर्ग गज** को बंधक रखकर राशि 77,22,007/- रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.09.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 77,22,007/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 85,70,028.99/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 18.09.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में (1) **श्रीमती परमेश्वरी देवी कुमावत के स्वामित्व की बंधक सम्पति युनिट/फ्लेट नम्बर जी–1, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लाट नम्बर जी–82, विकास एक्सीलेंसी–14, करधनी योजना, जी–ब्लॉक, गोविन्दपुरा, कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 750 वर्गफीट (2) श्रीमती संज्या देवी के स्वामित्व की बंधक सम्पति मिसल नम्बर 45, खसरा नम्बर 847, वार्ड नम्बर 7, किशनगढ रेनवाल, तहसील फुलेरा क्षेत्रफल 293.33 वर्गगज एवं खसरा नम्बर 865/1, 866, 867, 946/1, 946/1044, 948/1, 946/1045 वाके दादू नगर, बिचून रोड, फुलेरा, तहसील फुलेरा, जयपुर में स्थित आवासीय भुखण्ड संख्या 313–ई क्षेत्रफल 113.48 वर्ग गज** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक **05.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)